

हमला

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/ऋण/विविध/2025/

162

भोपाल, दिनांक 25/08/2025

प्रति,

संयुक्त संचालक/उपसंचालक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

आंचलिक कार्यालय----- (समस्त)।

विषय:- प्रदेश की मंडी समितियों में कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित वेतन, भत्तों, पेंशन, अवकाश नगदीकरण एवं ग्रेज्यूटी राशि के भुगतान करने के लिए अनुदान प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

संदर्भ:— दिनांक 18.08.2025 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस में दिये गये निर्देशानुसार

--000--

मंडी समिति संवर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान करने के लिए संचालक मंडल की 143वीं बैठक दिनांक 25-03-2025 के प्रस्ताव क्रमांक-08 अनुसार मंडी समिति की आरक्षित निधि में राशि उपलब्ध न होने की स्थिति में मंडी निधि से मंडी समिति सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियमित रूप से पेंशन भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही जिन मंडियों में मंडी निधि/आरक्षित निधि में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने पर मण्डी बोर्ड मुख्यालय का परिपत्र क्रमांक-238 दिनांक 12.02.2019 के दिशा-निर्देशों अनुसार आंचलिक कार्यालय के संयुक्त संचालक/उप संचालक द्वारा मण्डी समिति की आय में वृद्धि हेतु किए जा रहे प्रयासों का गहन परीक्षण करने के पश्चात मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति में कोई सुधार न होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर मण्डियों के लिए मण्डी बोर्ड द्वारा अनुदान स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

अतः प्रदेश की जिन मण्डी समितियों की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है तथा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके अनुदान प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही, यह संज्ञान में आया है कि अधिकांश मण्डी समितियां अनुदान के अधीन होती जा रही हैं, समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिन मण्डी समितियों की आय में निरन्तर कमी आ रही है, उन मंडियों का दौरा करते हुए निरीक्षण कर आय बढ़ाने के प्रयास किये जाये तथा मासिक समीक्षा कर प्रतिवेदन वरिष्ठालय को भिजवायें। जिससे मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों के नियमित वेतन/सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन एवं उनके स्वत्तों का भुगतान आदि हेतु अनुदान की आवश्यकता न रहे।

(कुमार पुरुषोत्तम)

आयुक्त सह प्रबंध संचालक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल.

(02)

क्रमांक/बोर्ड/ऋण/विविध/2025/

163

भोपाल, दिनांक 25/08/2025

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
2. अपर संचालक (वित्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
3. संयुक्त संचालक(समन्वय), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल ।
4. भारसाधक/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति.....जिला.....समस्त।

पुनः
समस्त

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.